148

R 5271-II/16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

गोरेलाल पाठक तनय स्व. श्री कमला प्रसाद पाठक, उम्र 70 वर्ष, निवासी– ग्राम–जैतवारा, तहसील–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0) जरिये मुख्तियार आम– रामकुशल पाठक तनय श्री तुलसीदास पाठक, निवासी– सन्त टोला जैतवारा, तहसील–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम्

1. तुलसीदास पाठक तनय स्व. कमला प्रसाद पाठक उम्र 72 वर्ष
2. शोभनाथ पाठक तनय स्व. कमला प्रसाद पाठक उम्र 59 वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम–जैतवारा, तहसील–बिरसिंहपुर, जिला–सतना (म0प्र0)

———गैर निगरानीकर्तागण

रामकुशल पाठक द्वारा आज दिनांक 20.6.16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.16 राजस्व प्रकरण क्र. 6/अ–70/2015– 16 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मझगवां, जिला–सतना (म0प्र0)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता.

मान्यवर,

:: संक्षेप में प्रकरण ::

यह कि निगरानकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण आपस में सगे भाई हैं उनकी पैतृक आराजी स्थित मौजा जैतवारा आराजी खसरा क्र. 641 रकवा 0.745 हेक्टेयर, 642 रकवा 0.024 हेक्टेयर, 567/1ख रकवा 0.057

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5271–II/16 जिला–सतना

गोरेलाल पाठक/तुलसीदास पाठक

(1)	(2)	(3)
16.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक/कैवियटकर्ता के अभिभाषक श्री अरूण कुमार गौतम उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	